भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2581

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंकों की विफलता

2581. श्री ए. राजा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारी बैंकों की बार-बार विफलता के मद्देनजर, जनता के लिए जमा खाते के बीमा की सीमा को वर्तमान 5 लाख रुपए से अधिक करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने सहकारी बैंक हैं, जो ग्राहकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं और जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक को कुप्रबंधन के कारण हस्तक्षेप करना पड़ा तथा इन बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुराने अनुभव के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार कुल जमा बीमा से संबंधित कवर बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी जमाराशियों के "समान क्षमता और समान अधिकार" में खाताधारक द्वारा धारित जमाराशियों के लिए प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार, डीआईसीजीसी समय-समय पर अपनी वित्तीय स्थिति और समग्र रूप से देश की बैंकिंग प्रणाली के हित को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से उपर्युक्त जमा बीमा से संबंधित सीमा को बढ़ा सकता है। परिणामत:, दिनांक 4.2.2020 से निक्षेप बीमा कवरेज की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई थी। डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और देश की वित्तीय प्रणाली के हित पर विचार करता है ताकि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार जमा बीमा से संबंधित सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को उपयुक्त प्रस्ताव दिया जा सके।

(ग) से (ड.): वर्ष 2020 से, 58 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया है ताकि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से सहकारी बैंकों के अधिक प्रभावी विनियमन के लिए आरबीआई को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जा सकें। इसके प्रमुख संशोधन प्रबंधन, लेखा परीक्षा, पूंजी, पुनर्निर्माण/समामेलन आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधान यूसीबी के लिए दिनांक 26.06.2020 से लागू किए गए हैं।

इन संशोधनों के पश्चात्, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अभिशासन/प्रबंधन संबंधी प्रावधानों (जैसे धारा 10, 10क, 10ख, 35ख, 36कख आदि) सहकारी बैंकों पर लागू हो गए हैं।

******